

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या-1353/77-3-2026-E-1953376

लखनऊ : दिनांक १३ अक्टूबर, 2026

आदेश

मेसर्स शकुन्तला एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी ...

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ...

प्रतिवादी

प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 के सापेक्ष निर्गत आदेश दिनांक 01.10.2018, 01.08.2022 एवं 31.08.2022 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(3) तथा सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत योजित की गयी है। प्रकरण में दिनांक 15.10.2026 को सुनवाई की गयी, जिसमें प्राधिकरण की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री राजेश कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री कार्तिक दुबे, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

2- प्रकरण संक्षेप में यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 25-250 एकड़ भूखण्ड योजना के अन्तर्गत मेसर्स शकुन्तला एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी को सेक्टर-17ए में एक भूखण्ड सं०-2 दिनांक 10.12.2009 को रु० 1055 तथा रु० 574 प्रतिवर्ग मीटर बाह्य विकास शुल्क के साथ कुल रु० 1629/- प्रतिवर्गमीटर की दर पर 50 एकड़ का भूखण्ड आवंटित किया गया। कालान्तर में प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 द्वारा आवंटी से 1041/- प्रतिवर्ग मी० की दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आधार पर दिनांक 01.10.2018 को प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को 1041/- प्रतिवर्ग मी० की दर से कुल 112.18 करोड़ रुपये की धनराशि (differential premium) जमा कराने की नोटिस निर्गत की गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका उक्त नोटिसों के विरुद्ध योजित की गयी है।

3- प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 15.10.2026 को सुनवाई की गयी, जिसमें प्राधिकरण की ओर से श्री राजेश कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक

अधिकारी एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री कार्तिकेय दुबे, अधिवक्ता एवं श्री सुनील गलगोटिया उपस्थित हुए। सुनवायी में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मेसर्स मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रकरण में धारा-41(3) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 को उद्धृत किया गया, जिसके द्वारा प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 के मद संख्या-22 तथा समिति की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2018, जिसके आधार पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था, को निरस्त कर दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का प्रकरण भी प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 के मद संख्या-22 पर लिए गये निर्णय पर ही आधारित है। प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2026 में मेसर्स मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रकरण में धारा-41(3) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को अतिरिक्त प्रीमियम (differential premium) के भुगतान हेतु निर्गत नोटिस दिनांक 01.10.2018, 01.08.2022 एवं 31.08.2022 को निरस्त करने की मांग की गयी है।

4- प्राधिकरण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उक्त से सहमति व्यक्त की गयी है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.05.2018 के मद संख्या-22 पर लिए गये निर्णय के क्रम में निर्गत नोटिस दिनांक 01.10.2018, 01.08.2022 एवं 31.08.2022 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

दीपक कुमार

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

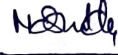
संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. मेसर्स शकुन्तला एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, नई दिल्ली।

3. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इन्वेस्ट यू०वी०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्रति इन्वेस्ट यू०पी० की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(निर्मेश कुमार शुक्ल)

संयुक्त सचिव।